



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2015/पौष 23, 1936

No. 25]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2015/PAUSA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2015

सा.का.नि.27(अ).- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 861(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें सभी व्यक्तियों से उस तारीख में जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करवा दी जाती हैं, दस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 दिसंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त, प्रारूप नियमों की बावत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 27, धारा 64, धारा 110 और धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8क ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए अपेक्षित - न्यूनतम प्रशिक्षण-नियम 8 में अंतर्विष्ट कोई बात, आवेदकों, ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए लागू नहीं होगी, परंतु आवेदक को कम से कम दस दिन की अवधि का प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करना होगा और यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या ई-रिक्शा या ई-कार्ट का उत्पादन करने वाले विनिर्माता से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 10 के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(घ) परिवहन यान के लिए ई-रिक्शा या ई-कार्ट को छोड़कर आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति;"।
4. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(ख) ई-रिक्शा या ई-कार्ट को छोड़कर किसी परिवहन यान को जोड़े जाने हेतु आवेदन की दशा में प्रारूप 5 में चालन अनुज्ञप्ति;"।
5. उक्त नियमों के नियम 34 के उपनियम (2) के अंत में प्रवर्ग (ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्ग रखे जाएंगे, अर्थात् :-
"(ज) ई-रिक्शा;
(झ) ई-कार्ट;
(ञ) किसी विनिर्दिष्ट वर्णन का कोई अन्य मोटर यान ।"
6. उक्त नियमों के नियम 47 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन और का.आ.2590(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पहले विद्यमान ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से ही छह मास की अवधि के लिए प्राधिकारी को, इस उपनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण किस्म अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 20 में आवेदन किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे -
(i) प्ररूप 22 में विनिर्माता या डीलर या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा अथवा ई-कार्ट संगम द्वारा जारी किए जाने वाला सड़क योग्यता का प्रमाणपत्र; और
(ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु प्ररूप 21 में विनिर्माता या ब्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाणपत्र ।"
7. उक्त नियमों के नियम 81 की सारणी में, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) के नीचे क्रम संख्या 4 के सामने "हल्के वाणिज्यिक यान" और "तीन सौ रुपए" के पश्चात् उक्त स्तंभों में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"ई-रिक्शा या ई-कार्ट	तीन सौ रुपए"		

8. उक्त नियमों के नियम, 122 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(3) ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में, रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या ई-रिक्शा या ई-कार्ट का उत्पादन करने वाले विनिर्माता
राज्य परिवहन विभाग को इस स्थान के बारे में सूचना देंगे जहां पर ई-रिक्शा या ई-कार्ट के प्रत्येक मंडल के उत्पादन के वर्ष और मास के लिए कोड सहित नंबर, उत्कीर्ण, निश्चारित और छिद्रित किया जाएगा ।"
9. उक्त नियमों के नियम, 124 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"2(क) ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या ई-रिक्शा या ई-कार्ट उत्पादन करने वाले विनिर्माता, पुर्जे, संपाटक या उप समंजन को जिसके लिए अधिसूचित मानक में यथानिर्दिष्ट किसी अभिकरण या केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे से या अधिसूचित भारतीय मानकों के अनुपालन की दशा में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी प्रयोगशाला से अनुमोदित कराएगा और ऐसे अनुमोदन के लिए आधार पर, ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या विनिर्माता प्ररूप 22 में इस नियम के उपबंधों के अनुपालन को भी प्रमाणित करेगा ।"
10. उक्त नियमों के नियम 127 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(1क) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से ही, विनिर्मित प्रत्येक ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के विक्रय के साथ प्ररूप 22 में ई-रिक्शा या ई-कार्ट विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा जारी सड़क योग्यता का प्रमाणपत्र संलग्न होगा ।"
11. उक्त नियमों के प्ररूप 6 में,--
(क) "परिवहन यान के चलाने की अनुज्ञप्ति से तक विधिमान्य है" भाग के स्थान पर, "परिवहन यान या ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के चलाने की अनुज्ञप्ति से तक विधिमान्य है" भाग रखा जाएगा ;

(ख) "परिवहन यान के चलाने का प्राधिकार" उपशीर्ष के स्थान पर, "परिवहन यान या ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के चलाने का प्राधिकार" उपशीर्ष रखा जाएगा।

12. उक्त नियमों के प्ररूप 8 में,--

"में

(क) प्ररूप 1क में चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न करता हूँ" से प्रारंभ होने वाले, और

"(ड) मैंने रुपए का संदाय कर दिया है।" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"में,

(क) प्ररूप 1क में चिकित्सा प्रमाणपत्र ;

(ख) प्ररूप 3 में शिक्षार्थी की अनुज्ञप्ति ;

(ग) प्ररूप 6 या प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो ;

(घ) प्ररूप 5 में चालन प्रमाणपत्र, यदि आवेदन ई-रिक्शा या ई-कार्ट को छोड़ते हुए परिवहन यान को चलाने के लिए है ;

(ड) मैंने रुपए की फीस का संदाय कर दिया है।

संलग्न करता हूँ।"

13. उक्त नियमों के प्ररूप 20 में, क्रम संख्यांक 13 में, मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(घ) उपयोगरत ई-रिक्शा या ई-गाड़ी।"

14. उक्त नियमों के प्ररूप 21 में,--

(क) "विक्रय प्रमाणपत्र" शीर्ष के अधीन, "विनिर्माता/व्यौहारी द्वारा जारी किया जाए" से प्रारंभ होने वाले, और "किसी मोटर यान के" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ उपस्थापन के लिए विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम (ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में) या रक्षा विभाग के अधिकारी (सेना द्वारा नीलाम किए गए यानों की दशा में) द्वारा जारी किया जाए" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में "विनिर्माता/व्यौहारी द्वारा या रक्षा विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माता या व्यौहारी या रक्षा विभाग के अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-गाड़ी संगम के अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे।

15. उक्त नियमों के प्ररूप 22 में,--

(क) "प्रदूषण मानकों, संघटकों के सुरक्षा मानकों और सड़क योग्यता के अनुपालन का आरंभिक प्रमाणपत्र" उपशीर्ष के अधीन, "[विनिर्माता द्वारा जारी किया जाए]" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "[विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम (ई-रिक्शा या ई-गाड़ी की दशा में) द्वारा जारी किया जाए]" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "विनिर्माता के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आर.टी.-11036/80/2012-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 5 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 810, तारीख 17.11.2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2015.

G.S.R.27(E). – Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 861(E), dated the 2nd December, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of ten days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 2nd December, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27, 64, 110 and section 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:-
“8A. Minimum training required for driving E-rickshaw or E-cart.- Nothing contained in rule 8 shall apply to the applicant for obtaining a licence to drive E-rickshaw or E-cart provided the applicant has undergone training atleast for a period of ten days and obtained a certificate of training from the registered E-rickshaw or E-cart Association, or a manufacturer producing E-rickshaw or E-cart, as the case may be.”.
3. In the said rules, in rule 10, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
“(d) in the case of an application for transport vehicle excluding E-rickshaw or E-cart, the driving licence held by the applicant;”.
4. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
“(b) the driving certificate in Form 5, in the case of an application for addition of a transport vehicle excluding E-rickshaw or E-cart;”.
5. In the said rules, in rule 34, in sub-rule (2), at the end, for category (h), the following categories shall be substituted , namely :-
“(h) E-rickshaw;
(i) E-cart;
(j) any other motor vehicle of a specified description.”.
6. In the said rules, in rule 47, after sub rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that for a period of six months, on and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015, in respect of the models of the E-rickshaws and E-carts existing prior to publication of the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014 and the notification published vide S.O. 2590 (E) dated the 8th October, 2014, the application for registration under this sub-rule shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of ninety days after obtaining the type approval certificate and shall be accompanied by -
(i) road-worthiness certificate in Form 22 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association; and

(ii) sale certificate in Form 21 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association for presentation along with the application for registration.”.

7. In the said rules, in rule 81, in the Table, against serial number 4, under columns (2) and (3), after the entries “Light Commercial Vehicle” and Three hundred rupees, the following entries shall respectively be inserted in the said columns, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“E-rickshaw or E-cart	Three hundred rupees”		

8. In the said rules, in rule 122, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(3) In case of E-rickshaw or E-cart, the registered E-rickshaw or E-cart Association or manufacturer producing E-rickshaw or E-cart shall intimate to the State Transport Authority regarding the place where the number shall be embossed or etched or punched including the code for the year and month of production for each model of E-rickshaw or E-cart.”.

9. In the said rules, in rule 124, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) In case of E-rickshaw or E-cart, the registered E-rickshaw or E-cart Association or manufacturer producing E-rickshaw or E-cart shall get the prototype of the part, component or sub-assembly for which standards have been notified, approved from any agency as referred to in rule 126 or the Central Institute of Road Transport, Pune, or in case of compliance with notified Indian Standards from any laboratory duly authorised by the Bureau of Indian Standards, and on the basis of such approval, the E-rickshaw or E-cart association or manufacturer shall also certify compliance with the provisions of this rule in Form 22.”.

10. In the said rules, in rule 127, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015, the sale of every E-rickshaw or E-cart manufactured shall be accompanied by a certificate of roadworthiness issued by the E-rickshaw or E-cart manufacturer or the registered E-rickshaw or E-cart Association, in Form 22.”

11. In the said rules, in Form 6, -

(a) for the portion “The licence to drive a transport vehicle is valid from to ...”, the portion “The licence to drive a transport vehicle or E-rickshaw or E-cart is valid from to ...” shall be substituted;

(b) for the sub-heading “Authorisation to drive transport vehicle”, the sub-heading “Authorisation to drive transport vehicle or E-rickshaw or E-cart” shall be substituted.

12. In the said rules, in Form 8, for the portion beginning with -

“I enclose,

(a) a medical certificate in Form 1A”and ending with,

“(e) I have paid the fee of Rs....., ” the following shall be substituted, namely:-

“I enclose,

(a) a medical certificate in Form 1A;

(b) Learner’s licence in Form 3;

(c) Driving licence in Form 6 or 7, if any;

(d) Driving certificate in Form 5, if the application is to drive a transport vehicle excluding E-rickshaw or E-cart;

(e) I have paid the fee of Rs.....”.

13. In the said rules, in Form 20, in serial number 13, after item (c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

“(d) in-use E-rickshaw or E-cart”

14. In the said rules, in Form 21, -

(a) under the heading “SALE CERTIFICATE”, for the portion beginning with “To be issued by manufacturer/dealer” and ending with “of a motor vehicle”, the words and brackets “To be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association (in case of E-rickshaw or E-cart) or officer of defence department (in case of military auctioned vehicles) for presentation alongwith the application for registration of a motor vehicle” shall be substituted;

(b) at the end, for the words “Signature of the manufacturer/dealer or Officer of Defence Department”, the words “Signature of the manufacturer or dealer or officer of Defence Department or registered E-rickshaw or E-cart Association” shall be substituted.

15. In the said rules, in Form 22, -

(a) under the heading “INITIAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH POLLUTION STANDARDS, SAFETY STANDARDS OF COMPONENTS AND ROAD WORTHINESS”, for the brackets and words “[To be issued by the manufacturer”, the brackets and words “[To be issued by the manufacturer or registered E-rickshaw or E-cart Association (in case of E-rickshaw or E-cart)]” shall be substituted;

(b) for the words, “Signature of manufacturer”, the words “Signature of manufacturer or registered E-rickshaw or E-cart Association” shall be substituted.

[No.RT-11036/80/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended vide notification number G.S.R. 810 dated 17.11.2014 .